

निदेशक, लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश, पुरस्कार निधि का अंकेक्षण एवं निरीक्षण

प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.3.2016

भाग—एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण आपत्तियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी जो की गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः अनिर्णीत अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 29.03.1995 से 31.03.2000

1	पैरा-4 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा-11	आंशित: निर्णीत (₹5000 का समायोजन देखा जाना है)
3	पैरा-15 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा-16	अनिर्णीत
5	पैरा-17 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा-17 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा-18	अनिर्णीत
8	पैरा-26	अनिर्णीत
9	पैरा-27	अनिर्णीत
10	पैरा-30	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2000 से 31.03.2003

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-5	अनिर्णीत
3	पैरा-6	अनिर्णीत
4	पैरा-7	अनिर्णीत
5	पैरा-8	अनिर्णीत
6	पैरा-9	अनिर्णीत
7	पैरा-11	अनिर्णीत
8	पैरा-18	अनिर्णीत
9	पैरा-24	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2003 से 31.03.2005

1	पैरा-5	अनिर्णीत
2	पैरा-6	अनिर्णीत
3	पैरा-7	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2005 से 31.03.2014

1	पैरा-3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹3600/- चैक नं0 1836199 दिनांक 23.4.2014 द्वारा भुगतान करने के उपरान्त स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की रसीद संख्या 74208 दिनांक 23.5.14)
2	पैरा-4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा-5	अनिर्णीत	
4	पैरा-6	अनिर्णीत	
5	पैरा-7	निर्णीत	(की गई आवश्यक कार्रवाई की सत्यापना उपरान्त)
6	पैरा-8	अनिर्णीत	
7	पैरा-9	अनिर्णीत	
8	पैरा-10	अनिर्णीत	
9	पैरा-11	अनिर्णीत	
10	पैरा-12	अनिर्णीत	

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

निदेशक, लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश, पुरस्कार निधि का अवधि 04/2014 से 03/2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री चेत राम ठाकुर, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 17.09.2016 से 20.09.2016 के दौरान निदेशक, लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया गया। अंकेक्षणाधीन अवधि में ब्याज के अतिरिक्त कोई आय न होने के कारण आय की विस्तृत जाँच के लिए किसी भी माह का चयन नहीं किया गया तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए केवल माह 04/2014 के लेखों का चयन किया गया क्योंकि अवधि 4/15 से 3/2016 में कोई भी व्यय नहीं किया गया है।

यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्थाद्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश, पुरस्कार निधि का अवधि 04/2014 से 03/2016 के लेखों के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹3000/- (तीन हजार मात्र) आँका गया। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अध्याचना संख्या 10/2016 दिनांक 19.09.2016 द्वारा उक्त

राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश, पुरस्कार निधि का अवधि 04/2014 से 03/2016 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई (परिशिष्ट "क")

Year wise Financial Position of Income & Expenditure of Small saving prize money

Shimla-171001

Year	Opening Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2014-15	5874366	Nil	217001	6091367	551365	5540002
2015-16	5540002	Nil	224446	5764448	Nil	5764448

अतः दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष ₹5764448 था जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 4350103748 की अनुसार भी शेष ₹5764448 था। इस प्रकार रोकड़ बही, वित्तीय स्थिति व बैंक पास बुक के अनुसार अन्तःशेष में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

5 निवेश:-

(क) सावधि जमा योजना में निवेश न करना:-

लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश, पुरस्कार निधि से अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान सावधि जमा योजना में कोई भी राशि निवेशित नहीं की गई थी।

(ख) उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने के कारण ब्याज ₹4.17 लाख की सम्भावित हानि:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश, पुरस्कार निधि बैंक बचम खाता में ₹5764448 की बड़ी रकम शेष जमा थी तथा इस राशि पर अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान 4% की दर से निम्न विवरण अनुसार ₹441447 की राशि ब्याज के रूप में अर्जित/प्राप्त हुई थी कुशल वित्तीय प्रबन्धन से बचत खाता में जमा राशि में से यदि ₹5000000 भी 8% की अपेक्षित दर से सावधिक जमा में निवेशित होती तो निम्न विवरण अनुसार ₹416850 की ब्याज से अतिरिक्त आय होती परन्तु वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण लगभग ₹416850 की ब्याज से आय से वंचित रहना पड़ा जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

बैंक का नाम	4% की दर से अर्जित/प्राप्त ब्याज की राशि (₹) में	8% की दर से सावधिक जमा में निवेश पर ब्याज की जो राशि अर्जित होती	ब्याज से आय की हानि की सम्भावित राशि
H.P. State Co-operative Bank, H.P.Sectt. 4350103748	01.04.14 से 31.03.15	30.09.14=108660 31.03.15=108341 Total=217001	858297 416850
H.P. State Co-operative Bank, H.P.Sectt. 4350103748	01.04.15 से 31.03.16	30.09.15=111109 31.03.16=113337 Total=224446	

6 ₹0.59 लाख के अग्रिम के समायोजन बारे:-

लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश, पुरस्कार निधि से M.D. State Electronics Development Corporation, Ltd. Khalini, Shimla-171002 को एक Laptop HP Probook-440G 1 with:-LED display Screen की खरीद हेतु ₹58880 का अग्रिम भुगतान चैक संख्या 979001 दिनांक 7.04.14 द्वारा उनके Proforma Bill No. T-201/Vol-III/HW/SW-Rates/April-2014 dated 07.04.2014 के सन्दर्भ में किया गया था। इस खरीद से सम्बन्धित वास्तविक बिल नं० 33230 दिनांक 07.07.14 भी अभिलेख में संलग्न था परन्तु इस बिल को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः इस प्रकार उक्त अग्रिम व उसके समायोजन की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में उचित छानबीन करके वस्तु स्थिति का पता लगाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 ₹3.89 लाख की जारी स्टॉक मदों/फार्म की रसीद प्राप्त न करना:-

चयनित माह के व्यय एवं भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख व भण्डार रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि लघु बचत विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग शिमला-5 से उनके बिल संख्या 9097 दिनांक 27.3.2014 द्वारा 1000000 फार्म एसलास-6(AALAAS-6) छपवाए गए व उक्त बिल का भुगतान चै संख्या 1836200 दिनांक 25.4.14 ₹389365 द्वारा किया था। छपवाए गए इन

फार्मों को निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न जिला के उपायुक्तों को उपयोग हेतु भेजा गया था। मगर अंकेक्षणाधीन अवधि तक सम्बन्धित उपायुक्तों से फार्म प्राप्ति की रसीदें प्राप्त नहीं की गई थी। अतः अपेक्षित रसीद अब प्राप्त की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1	उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर	100000	
2	उपायुक्त कार्यालय चम्बा	90000	
3	उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर	90000	
4	उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा	100000	
5	उपायुक्त कार्यालय किन्नौर	20000	
6	उपायुक्त कार्यालय कुल्लू	90000	
7	उपायुक्त कार्यालय लाहौल एवं स्पीति	20000	
8	उपायुक्त कार्यालय मंडी	100000	
9	उपायुक्त कार्यालय शिमला	100000	
10	उपायुक्त कार्यालय सिरमौर	90000	प्राप्त रसीद में संख्या नहीं दिखाई गई थी
11	उपायुक्त कार्यालय सोलन	90000	प्राप्त रसीद में संख्या नहीं दिखाई गई थी
12	उपायुक्त कार्यालय ऊना	100000	
13	निदेशालय लघु बचत (मुख्यालय)	10000	
एच0पी0 सचिवालय, कमरा नं0 205			

8 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाया जाना:-

लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश, पुरस्कार निधि अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के विभिन्न स्टॉक पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा स्टॉक कि विभिन्न मदों का वर्षवार नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाई गई थी। नियमानुसार प्रतिवर्ष समिति बनाकर स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई को अब पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 9 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।
- 10 **निष्कर्ष:-** गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्रवाई करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15)(14)213/02-खण्ड-2-6625 दिनांक: 21.12.2016
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत** 1 निदेशक, लघु बचत योजना "बचत पुरस्कार" शिमला-2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.